1

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 69/2022

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. राजकुमारी पत्नी सुरेन्द्र कुमार 2. धमेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 3. देवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र जातिगण ब्राह्मण निवासीगण अवस्थियों का बास सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली।		1. विजय कुमार पुत्र रंगलाल जाति ब्राह्मण नि0 अवस्थियों का बास सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली। 2. तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री किशन सोनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 27.03.2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तह0 सोजत के, वर्तमान खसरा नंबर 1638 रकबा 0.0600 है0, ख0नं0 1639 रकबा 6.1200 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.1800 है0 किस्म गै.अ., मेहन्दी की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का आता है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि वादी एक संख्या के ससुर व वादी संख्या 2 व 3 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 रंगलाल पुत्र श्रीलाल जाति ब्राह्मण के हक हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त की थी, जिनकी मृत्यु पश्चात् राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पति/पिता सुरेन्द्र कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा गीतादेवी पत्नी रंगलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ तथा गीतादेवी द्वारा अपने जीवनकाल में अपना हक हिस्सा अपने दोनो पुत्रो क्रमशः वादीगण के पिता/पति व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क कर दिया। जिससे वादीगण के पिता/पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 का वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 — 1/2 हक हिस्से पर काबिज काश्त हुए, वादीगण के पति/पिता सुरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास दिनांक 15/10/2020 को हो चुका है। जिनकी मृत्यु पश्चात् म्यूटेशन संख्या 4009 के जरिये वादीगण राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार के इन्द्राज हुए। वादीगण प्रत्येक का वादस्थ कृषि भूमि में 1/6 — 1/6 हक हिस्सा संयुक्त हक हकूक खातेदारी का आता है। गीतादेवी द्वारा हकतर्क निष्पादित करने के पश्चात् वादीगण के पति/पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौखिक बंटवाड़ा वर्ष 2019 में होकर दोनों अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर वादस्थ कृषि भूमि का कब्जानुसार उपयोग उपभोग निरन्तर बिना किसी बाधा के खुलम खुल्ला

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निरन्तर रूप से करते आ रहे है। वादपत्र के साथ वादरथ कृषि भूमि का नजरी नक्शा एनेक्चर–ए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस एनेक्चर–ए में मार्क ए.बी.सी.डी. वादस्थ भूमि को दर्शाया गया है, जिसमें मार्क जी.एच.सी.डी. प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि को एनेक्चर–ए में लाल रंग से तथा वादरीगण संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि को मार्क ए,बी,ई एफ हरें रंग से दर्शित किया गया है। उक्त वर्णितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त हो, निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण के पति/पिता द्वारा अपने हक हिस्से में आये भू–भाग पर लाखों रूपये खर्च कर भूमि को उपजाऊ बनाया है। वादीगण के पति/पिता के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 की नियतबद्ध हो गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 मौखिक बंटवाड़े से इंकार कर वादीगण के हक हिस्से की हरे रंग से दर्शित भूमि पर अवैध दखल अन्दाजी करने लगा, जिस पर वादीगण द्वारा कई बार मौखिक रूप से बंटवाड़ा किये गये अनुसार विधिक बंटवाड़ा करवाने का कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 हठधर्मिता से वादीगण के हक हिस्से की हरे रंग से दर्शित भू–भाग पर उपयोग उपभोग एवं फसल लेने में बाधा पहुंचाने लगा, वादीगण अपने पति/पिता के जीवनकाल से एनेक्चर–ए मे वर्णित हरे रंग से दर्शित भू–भाग को खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक बंटवाड़ा नहीं होने से माठ एवं धोरा पाली का विवाद हर समय बिना रहता है, प्रतिवादी संख्या 1 मौखिक बंटवाड़े में वादीगण को प्राप्त भू–भाग पर अवैध दखल अन्दाजी कारित कर वादीगण के प्राप्त भू–भाग पर अवैध दखल अन्दाजी कारित कर वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा व दखल कारित कर रहा है तथा वादीगण वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–ए में हरे रंग से दर्शित भू–भाग को विधिक बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है। अतः यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा, निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा का पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कब्जा सुदा स्वामित्वसुदा भूमि होने से तथा वादीगण राजस्व रेकर्ड में वादस्थ कृषि भूमि के 1/2 हक हिस्से के रेकर्डेड खातेदार होने से तथा वादीगण के पति/पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौखिक बंटवाड़ा होकर दोनो पक्ष अपने अपने हक हिस्से के रेकर्डेड खातेदार होने से तथा वादीगण के पति/पिता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मौखिक बंटवाड़ा होकर दोनों पक्ष अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करने से तथा वादीगण के पति/पिता के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मौखिक बंटवाड़ा से इन्कार कर वादीगण के हक हिस्से की भूमि को प्राप्त करने की कुचैष्ठा करने तथा कब्जा अनुसार बंटवाड़ा का कहने पर इंकार होने तथा दिनांक 20.05.2022 को वादस्थ कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाने विशिष्ठ भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण करने की एलानियां देने से बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ, जो वाद अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ कृषि भूमि में वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–ए में दर्शित भू–भाग मार्क ए.बी.ई.एफ. जो हरे रंग

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

दर्शित है, मौखिक बंटवाड़ा अनुसार वादीगण के कब्जे व उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को हरे रंग से दर्शित भू–भाग का खातेदार काश्त घोषित फरमाया जाने एवं वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा खातेदारी घोषणा अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम किया जाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करावे तथा वादस्थ कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग का बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण, दान, बख्सीस इत्यादि न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर एजेन्ट प्रतिनिधि आदि करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किये गये। अधिवक्ता वादी ने श्री गोविन्द दवे ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23.06.2022 को तहसीलदार सोजत द्वारा जबाव दावा पेश नहीं करना चाहने से जबाव दावा प्रतिवादी संख्या 02 बंद किया गया। दिनांक 23.06.2022 को उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर तहरीरी राजीनामा पेश किया, सामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री कैलाश दवे तथा प्रतिवादी संख्या 01 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द दवे ने की। उभयपक्षों ने तहरीरी राजीनामा पेश कर वादस्थ कृषि भूमि ख0नं0 1638, 1639 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.1800 है0 की कृषि भूमि का वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एनेक्चर–ए अनुसार हरे रंग का हिस्सा वादीगण व लाल रंग का हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 के अनुसार मौका, कब्जा व हिस्से अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। लिहाजा प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के ख0नं0 1638, 1639 कुल रकबा 6.1800 है0 की कृषि भूमि का दर्ज खातेदार के मध्य मौका, कब्जा व हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित विभाजन विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2022/850 दिनांक 03.08.2022 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर तहसीलदार, सोजत ने आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) रा

...स्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत में ख0नं0 1638, 1639 कुल रकबा 6. 1800 है0 किस्म बा.अ., मेहन्दी की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	विजय कुमार पुत्र रंगलाल कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार	1638/1 1639/1	0. 0450 3. 0450	बा0अ0 मेहन्दी	0.27 73.08
	योग	2	3. 0900		73.25
2.	राजकुमारी पत्नि सुरेन्द्र कुमार 1/3 धमेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 देवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार। रहन– राजकुमारी व धमेन्द्र कुमार का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सोजत सिटी	1638 1639	0. 0150 3. 0750	बा0अ0 मेहन्दी	0.09 73.08
	योग	2	3. 0900		73.17

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 03.01.2023 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. राजकुमारी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
2. धमेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र जातिगण ब्राह्मण निवासीगण अवस्थियों का बास सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. विजय कुमार पुत्र रंगलाल जाति ब्राह्मण नि0 अवस्थियों का वास सोजतसिटी, तह0 सोजत जिला पाली।
2. तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मु0नं0 :– 69/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री किशन सोनी अधिवक्ता प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा सोजत चक द्वितीय के ख0नं0 1638, 1639 कुल रकबा 6.1800 है0 किस्म बारानी अव्वल, मेहन्दी की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	विजय कुमार पुत्र रंगलाल कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1638/1 1639/1	0.0450 3.0450	बा0अ0 मेहन्दी	0.27 73.08
	योग	2	3.0900		73.25
2.	राजकुमारी पत्नि सुरेन्द्र कुमार 1/3 धमेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 देवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार 1/3 कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार। रहन– राजकुमारी व धमेन्द्र कुमार का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सोजत सिटी	1638 1639	0.0150 3.0750	बा0अ0 मेहन्दी	0.09 73.08
	योग	2	3.0900		73.17

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.03.23 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला पाली) राज.